तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित–
श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक प्रार्थी

दिनांक : 19–09–2025

निर्णय

यह निगरानी भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 100 / 2006 में पारित आदेश दिनांक 21–03–2006 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि वादीगण / अप्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के समक्ष धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 18–08–2005 को एक पक्षीय आदेश द्वारा प्रतिवादी / प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। इसी दौरान अप्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए व धारा 94 सीपीसी प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के सम्मन प्रार्थी को जारी किये, जिस पर तामील कुलिन्दा द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि ''आज दिनांक 10–01–2005 को ग्राम लुहारिया पहुंचा व लाला के घर गया, वहां पर लाला यहां नहीं होकर बाहर गांव गये व उनका पुत्र शंकर तामील पत्र का लेने से मना कर दिया व चस्पा भी नहीं करने दिया। जिसकी तस्दीक गांव के सरपंच ने की।'' दौराने प्रकरण दिनांक 14–10–2005 को अप्रार्थीगण ने मौका निरीक्षण बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार, माण्डल से मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया गया। तहसीलदार, माण्डल ने दिनांक 20–19–2005 को रिपोर्ट के जरिये अवगत करवाया कि आराजी खसरा नं. 398

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के दक्षिण तरफ की थोर खातेदार द्वारा कटाई जाकर रास्ते को इस आराजी में शामिल कर दिया गया, वर्तमान में रास्ता बंद है। उक्त रिपोर्ट अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुनवाई कर मंगवाई गई तथा तहसीलदार माण्डल को निर्देशित कर रिपोर्ट तलब करने के लिए अधिकृत किया गया लेकिन तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये एवं संबंधित पटवारी हल्का से एक पक्षीय रिपोर्ट तलब कर ली। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 व धारा 151 सीपीसी के तहत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विती स्थगित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 21–03–2006 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर आदेश अन्तर्गत निगरानी पारित किया गया, जो पूर्ण रूप से क्षेत्राधिकार से बाहर होकर निरस्त किये जाने योग्य है व इसकी क्रियान्विती स्थगित किये जाने योग्य है। लेकिन अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना गुणावगुण पर विचार किये निगरानीधीन आदेश पारित कर प्रार्थी का सिविल कारावास की सजा को यथावत रखने जैसा आदेश पारित कर दिया व प्रार्थी को सिविल कारावास की सजा दे दी गई तो अपील निरर्थक जैसा आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण का वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा संधारण योग्य नहीं था, प्रकरण रास्ते से संबंधित होने के कारण या तो धारा 251 के तहत ग्राम पंचायत आदेश पारित करने के लिए सक्षम है व प्रथम 45 दिन में ग्राम पंचायत द्वारा यदि उचित कार्यवाही नहीं की जाती है तो संबंधित तहसीलदार को रास्ते बाबत् आदेश पारित करने की शक्तियां दी गई है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय को जब श्रवणाधिकार का क्षेत्राधिकार नहीं है तो उन्हें ऐसे वाद व प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। लेकिन अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों पर बिना विचार किये निगरानीधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पारित आदेश दिनांक 21–03–2006 तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2005 को निरस्त किया जावे तथा अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 21–03–2006 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई तथा स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रकृति पूर्णतया अन्तरिम है, जो केस डिसाइडेड की परिभाषा में नहीं आता है एवं अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में निगरानी इसी स्तर पर ही खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	